निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी

बईजलास श्री जितेन्द्रकुमार पाण्डे आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी

प्रकरण सं. 15/2017 वाद

निर्णय दिनांकः— 10.02.2017

1— नक्षत्रमल पिता हेमराज जी भोई निवासी बड़ीसादड़ी
2— देवीलाल पिता हेमराज जी भोई निवासी बड़ीसादड़ी
3— मोहनलाल पिता हेमराज जी भोई निवासी बड़ीसादड़ी
4—श्रीमति मोती बाई पत्नि स्व. श्री हेमराज जी भोईनिवासी बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ (राज.)

—— वादीगण

।।बनाम।।

1— श्री लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल जी भोई नि. बड़ीसादड़ी
2— श्रीमती प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल जी पति नारायण जी भोई हा.नि. कानौड़ त.वल्लभनगर
3— श्रीमतीकेसरीबाईउर्फबसंतीपुत्रीमांगीलाल जी पति नारायण जी भोई हा.नि.कानौड़
4— श्रीमती आबुबाई पत्नि स्व. श्री मांगीलाल जी भोई निवासी बड़ीसादड़ी तह.बड़ीसादड़ी
5— श्री भंवरलाल पिता प्रताप जी भोई आयु वयस्क निवासी बड़ीसादड़ी
6— श्री उंकारलाल पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
7— श्री उदयलाल पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
8— श्री वरदीचन्द पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
9— श्री रूपलाल पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
10—श्री दौलतराम पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
11—श्री मदनलाल पिता गोकल जी भोई आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
12—श्रीमति जमनाबाई पिता गोकल जी पति मथरालाल जी भोई नि.कानोड़
13—श्री रतनलाल पिता श्री मिट्ठुलाल भोई आयु वयस्क नि. बड़ीसादड़ी
14—श्री भगवतीलाल पिता मिट्ठुलाल भोई आयु वयस्क नि. बड़ीसादड़ी
15—श्रीमती वरदी पिता मिट्ठुलाल पति श्री तुलसीराम जी भोई निवासी बडीसादड़ी (राज.)
16—श्रीमती नारायणी पत्नि स्व. मिट्ठुलाल जी भोई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़
17—श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

।। निर्णय।।

उपस्थितिः— वादीगण की ओर से :— श्री अनिलकुमार सोनावा

प्रतिवादीगण की ओर से :—एक तरफा कार्यवाही

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,209 के अन्तर्गत इस आश्य का प्रस्तुत किया की मौजा बडीसादडी खतौनी संख्या नई 554 की आराजी खसरा नम्बर 1221 रकबा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
उप खण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

चरण संख्या 2 में खाता संख्या 689 में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा था जो वर्तमान में कन्ना उर्फ कन्नीराम , गोकल पिता नाथू के नाम पर है खाता संख्या 690 कन्ना उर्फ कन्नीराम का 1/2 हिस्सा था जो वर्तमान में कन्ना फोत होने से उसकी पत्नि मृतक मानी बाई के नाम पर दर्ज है। एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात मृतक कन्ना उर्फ कन्नीराम के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से मानी बाई पत्नि कन्ना, नारायणी पुत्री कन्ना के नाम पर दर्ज हो गई । चूंकि मृतक कन्ना उर्फ कन्नीराम के कोई पुत्र संतान नहीं होने से उसके अपने जीवन काल में दिनांक 18–06–1974 को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समाज के पंचों एवं भाईयों तथा रि तेदारों की मौजुदगी में अपनी पत्नि मानी की सहमति से श्री हेमराज पिता गोकल जी भोई को लेहरीयां बंधवा कर तथा गोदी में बिठाकर अपना गोदी पुत्र बनाया तभी से हेमराज मृतक कन्ना उर्फ कनीराम का गोदी पुत्र होकर कन्ना उर्फ कन्नीराम की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा था । जिसकी लिखतम बही में निश्पादित कर रखी है। लिखतम गोदनामा में कन्ना की पत्नि मानीबाई ने भी अपनी सहमति के रूप में अंगुठा निशानी कर रखी है। श्री कन्ना का दिनांक 17–11–1993 को स्वर्गवास हो गया जिनका अंतिम संस्कार ,किया कर्म पीण्ड दान एवं समस्त धार्मिक अनुश्ठान हेमराज द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे । हेमराज का स्वर्गवास दिनांक 19–07–1998 को हो चुका है इस कारण विरासत से वादग्रस्त आराजीयात कन्ना उर्फ कन्नीराम की पत्नि व पुत्री मानीबाई, नारायणीबाई के नाम पर दर्ज हो गई जबकि वादग्रस्त आराजीयात कन्ना उर्फ कन्नीराम भोई के दत्तक पुत्र हेमराज के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी । हेमराज की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे है। इसलिए निश्पादित गोदनामा की लिखतम कानूनन वादीगण कमांक 1 से 3 पर लागू होकर प्रभावी होने से वादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 554 की सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण के नाम पर गोदनामा के आधार पर विरासत से वादीगण की खातेदारी में घोषित कराई जावे। मानीबाई की पुत्री नारायणी का भी दिनांक 20–05–2001 को स्वर्गवास हो गया है इसलिये राजस्व रिकार्ड से मृतक मानीबाई एवं मृतक नारायणीबाई का नाम विलोपित कराया जावे । तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज खाता संख्या 689 में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 690 में वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी में घोषित किया जाकर मानी बाई पति कन्नीराम एवं कन्ना पिता नाथू का नाम विलोपित कराया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। जबकि वादीगण ने राजस्व अधिकारीयों से वादग्रस्त आराजीयात गोदनामा के आधार पर वादीगण के नाम पर खाते में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो राजस्व अधिकारीयों ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहने से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः वादीगण का वाद निम्नानुसार डिकी फरमाया जावे –

वादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 554 की सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण के नाम पर गोदनामा के आधार पर खातेदारी में घोषित कराई

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

0.3100 हे. लगान 5 रूपया 89 पैसा , नम्बर 1225 रकबा 0.0600 हे. लगान एक रूपया 14 पैसा, नम्बर 1227 रकबा 0.2000 हे. लगान 3 रूपया 80 पैसा, नम्बर 1273 रकबा 0.1500 हे. लगान एक रूपया 05 पैसा, नम्बर 1742 रकबा 0.4000 हे. लगान 16 रूपया 80 पैसा, नम्बर 1784 रकबा 0.0200 हे. गे.मु., नम्बर 1785 रकबा 0.1800 हे. लगान 7 रूपया 56 पैसा, नम्बर 1788 रकबा 0.1300 हे. लगान 5 रूपया 46 पैसा होकर वर्तमान में मृतक मानीबाई पत्नि स्व. कन्ना नारायणीबाई पुत्री स्व. कन्ना भोई के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । नारायणीबाई स्व. कन्ना जी की पुत्री है लेकिन रिकार्ड में सहवन से पत्नि अंकित हो गया है। खतौनी संख्या नई 690 की आराजी नम्बर 1291 रकबा 0.8100 हे. लगान 15 रूपया 39 पैसा, नम्बर 1720 रकबा 0.6700 हे. लगान 12 रूपया 73 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1.4800 हे. कुल लगान 28 रूपया 12 पैसा एवं खतौनी संख्या नई 689 की आराजी नम्बर 1220 रकबा 0.0300 हे. गे.मु.चाह, नम्बर 1222 रकबा 0.0600 हे. गे.मु.आ.चा., नम्बर 1740 रकबा 0.0400 हे. गे.मु.आ.चा. नम्बर 1782 रकबा 0.0400 हे. गे.मु.आ.चा. कुल किता 4 कुल रकबा 0.1700 हे. ग्राम बड़ीसादड़ी पटवार सर्कल बड़ीसादड़ी में स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 एवं 2 में वर्णित आराजीयात को इस वाद पत्र में आगे चल कर वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण एवं प्रतिवादीगण कमांक 1 से 12 का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है –

नाथू (फोत)

प्रताप (फोत) | कन्ना उर्फ कन्नीराम(फोत) | गोकल(फोत)

मांगीलाल(फोत) | भंवरलाल | मानी(फोत) | नारायणी(फोत) | हेमराज(फोत) गोदी पुत्र

लक्ष्मीलाल | प्रेमबाई | केसरीबाई | आबूबाई (पत्नि)

नक्षत्रमल | देवीलाल | मोहनलाल | मोतीयांबाई पत्नि

उंकारलाल | मिठुलाल फोत | उदयलाल | वरदीचंद | रूपलाल | दोलतराम | मदनलाल | जमना

रतनलाल | भगवतीलाल | वरदी | नारायणीबाई(पत्नि)

मूल पुरूष श्री नाथू जी थे जिनकी मृत्यु काफी वर्षो पुर्व हो चुकी है उनके विधिक वारीस प्रताप, कन्नीराम, गोकल हुए – जिनका वादग्रस्त आराजीयात वर्णित वाद पत्र की

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बडीसादडी की आराजी खसरा नम्बर 1221 रकबा 0.3100 हे. लगान 5 रूपया 89 पैसा, नम्बर 1225 रकबा 0.0600 हे. लगान एक रूपया 14 पैसा, नम्बर 1227 रकबा 0.2000 हे. लगान 3 रूपया 80 पैसा, नम्बर 1273 रकबा 0.1500 हे. लगान एक रूपया 05 पैसा, नम्बर 1742 रकबा 0.4000 हे. लगान 16 रूपया 80 पैसा, नम्बर 1784 रकबा 0.0200 हे. गे.मु., नम्बर 1785 रकबा 0.1800 हे. लगान 7 रूपया 56 पैसा, नम्बर 1788 रकबा 0.1300 हे. लगान 5 रूपया 46 पैसा सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण के नाम पर गोदनामा के आधार पर खातेदारी में घोषित की जाती है। आराजी नम्बर 1291 रकबा 0.8100 हे. लगान 15 रूपया 39 पैसा, नम्बर 1720 रकबा 0.6700 हे. लगान 12 रूपया 73 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 1.4800 हे. कुल लगान 28 रूपया 12 पैसा एवं खतौनी संख्या नई 689 की आराजी नम्बर 1220 रकबा 0.0300 हे. गे.मु.चाह, नम्बर 1222 रकबा 0.0600 हे. गे.मु.आ.चा., नम्बर 1740 रकबा 0.0400 हे. गे.मु.आ.चा. नम्बर 1782 रकबा 0.0400 हे. गे.मु.आ.चा. कुल किता 4 कुल रकबा 0.1700 भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 690 में वादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। मानी बाई पति कन्नीराम एवं कन्ना पिता नाथू का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से मुर्तिब किया जावें ।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी
उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़